उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड,
8–ए0 बंगाली लाइब्रेरी रोड, देहरादून
ई–मेल– legalmetuk@gmail.com दूरभाष – 0135–2651926 फैक्स – 0135–2653159

पत्रांक 677/ नि0वि0मा0वि0 / कार्यालय–ज्ञाप / 2018–19 दिनांक 05/10/2018

–: कार्यालय ज्ञाप :–

उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली 2012 के नियम–11(3) अनुसूची–तीन लाईसेन्स की शर्ते में निहित मरम्मतकर्ता लाईसेंस के लिए उल्लिखित शर्तो के अतंर्गत शर्त संख्या–घ के अधीन इलैक्ट्रोनिक उपकरणों के लिए मरम्मतकर्ता लाईसेंस निर्गत किए जाने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया है कि इलैक्ट्रोनिक उपकरणों का नया मरम्मतकर्ता लाईसेंस निर्गत किए जाने हेतु योग्यता का निर्धारण उचित है। परन्तु पूर्व में निर्गत मरम्मतकर्ता लाईसेंसधारियों, जिन्हें बाटों–मापों और माप तौल के उपकरणों या इलैक्ट्रोनिक उपकरणों की मरम्मत हेतु लाईसेंस दिया गया है, उनमें इलैक्ट्रोनिक उपकरण भी सम्मिलित है, अतः इन लाईसेंसियों पर इलैक्ट्रोनिक उपकरणों के सत्यापन हेतु योग्यता की नई शर्ते नहीं लागू की जा सकती है। अतः पूर्व में निर्गत बाटों,मापों एवं माप तौल की मरम्मत हेतु योग्यता का निर्धारण किया जाना उचित नहीं है

इलैक्ट्रोनिक उपकरणों की मरम्मत के लिए नए मरम्मतकर्ता लाईसेंस निर्गत किए जाने हेतु निम्न योग्यता रखने वाली फर्मों को ही लाईसेंस निर्गत किया जाएगा––

अ– आई0टी0आई0 (इलैक्ट्रोनिक) अथवा समकक्ष तथा 2 वर्ष का अनुभव

या

ब– डिपलोमा इन इलैक्ट्रोनिक या इन्स्ट्रमेटेशन या इलैक्ट्रिकल इंजी0 अथवा समकक्ष तथा 01 वर्ष का अनुभव

या

स– भौतिक विज्ञान सहित बी0एस0सी0 तथा एक वर्ष का अनुभव

या

द– बी0ई0 / बी0टेक (इलैक्ट्रिकल, इलैक्ट्रोनिक्स इन्स्ट्रमेटेशन अथवा इलैक्ट्रिकल इंजी0)

05/10/18
प्रभारी संयुक्त नियंत्रक
विधिक माप विज्ञान
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Received on copy
05/10/18
Bagkur